

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15102026-277183
SG-DL-E-15102026-277183असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]	दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 249
No. 306]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948	[N. C. T. D. No. 249

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIयोजना विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2026

फा. सं. यो0-डी011/1/2026-समन्वय इकाई-योजना विभाग-भाग(4)/ 19383-19390.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिनांक 28.07.2026 की कैबिनेट निर्णय संख्या 3355 के माध्यम से दिल्ली इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (डीआईटीआई) की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, सहयोगात्मक शासन और नागरिक-केंद्रित नवाचार के माध्यम से दिल्ली को एक समावेशी, नवोन्मेषी, सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर में परिवर्तित करना है। संस्थान निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेगा:

- (क) डेटा, प्रौद्योगिकी, साझेदारी और नीति अनुसंधान का लाभ उठाकर दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु शासन में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- (ख) सार्वजनिक नीति, विकास रणनीति और संस्थागत सुधारों से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना।

- (ग) यह उभरती चुनौतियों और अवसरों पर रणनीतिक सुझाव प्रदान करेगा और सरकार को मध्यम और दीर्घकालिक विकास रूपरेखा तैयार करने में सहायता करेगा, जिसमें नागरिकों की आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप एक व्यापक "विज़न दिल्ली 2047" दस्तावेज भी शामिल है।
- (घ) विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रारंभ करना और विभागों को कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में सुधार के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रदान करना।
- (ङ) शोध अध्ययन शुरू करना, नीतिगत पत्र तैयार करना, प्रभाव आकलन का संचालन करना और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श की सुविधा प्रदान करना।
- (च) नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करना और विभागों को दक्षता, जवाबदेही और सेवा प्रदायगी में सुधार करने में सहायता प्रदान करना।
- (छ) विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने, विशेषीकृत अध्ययन को आरंभ करने, सहयोग और साझेदारी की शुरुआत करने हेतु अपेक्षित लचीलापन प्रदान करना।
- (ज) सरकार के आंतरिक ज्ञान और रणनीति संस्थान के रूप में कार्य करना। डीआईटीआई की स्थापना से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने, विभागों के बीच समन्वय में सुधार करने, प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी बढ़ाने और परिवर्तनकारी शासन को गति देने की अपेक्षा है।
2. डीआईटीआई की शासी संरचना में शासी बोर्ड और कार्यकारी समिति शामिल होंगी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

डीआईटीआई शासी बोर्ड की संरचना

क्र.सं.	भूमिका	पदनाम
1.	अध्यक्ष	माननीया मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2.	उपाध्यक्ष	माननीया मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नामित
3.	सदस्य	समस्त माननीय मंत्रीगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण
		आयुक्त, दिल्ली नगर निगम
		अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद
4.	सदस्य सचिव	प्रशासनिक सचिव (योजना विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5.	अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णित विशेष आमंत्रितगण	- अधिकारी - संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव। - संबंधित क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय)।

शासी बोर्ड के लिए संदर्भ की शर्तें

शासी बोर्ड के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होगी :

- (क) राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की एक साझा दृष्टि विकसित करना।

- (ख) राज्य स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करने और उन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर क्रमिक रूप से एकत्रित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना।
- (ग) हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित न होने के जोखिम में हो सकते हैं।
- (घ) रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखाओं और पहलों को डिजाइन करना तथा उनकी प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी करना। निगरानी और प्रतिक्रिया के माध्यम सीखों का उपयोग नवाचारी सुधार करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यक मध्यवर्ती सुधार भी शामिल हैं।
- (ङ) प्रमुख हितधारकों और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले विचारक समूह के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- (च) कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना, जिसमें सफलता की संभावना और प्रदायगी के कार्यक्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना भी शामिल है।
- (छ) कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।
- (ज) राज्य के विकास एजेंडा के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए यथावश्यक अन्य गतिविधियों को करना।

डीआईटीआई कार्यकारी समिति की संरचना

क्र.सं.	भूमिका	पदनाम
1.	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2.	सदस्य	प्रशासनिक सचिव (योजना विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		प्रशासनिक सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		प्रशासनिक सचिव, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		प्रशासनिक सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
		अग्रणी ज्ञान संस्थान (जीजीएसआईपीयू) के प्रतिनिधि
3.	सदस्य सचिव	निदेशक (योजना), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

* आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में बुलाया जा सकता है।

कार्यकारी समिति के लिए संदर्भ की शर्तें

कार्यकारी समिति के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होगी :

- (क) नीति आयोग और लीड नॉलेज इंस्टीट्यूशन (अग्रणी ज्ञान संस्थान) के सहयोग से डीआईटीआई के शासी बोर्ड को उसके संदर्भ की शर्तों के निष्पादन में सहायता प्रदान करना।
- (ख) राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार विकास रणनीति, क्षेत्रीय लक्ष्य, सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य और राज्य विज़न 2047 तैयार करना और इन्हें प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
- (ग) सरकार के भीतर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समन्वय को सुदृढ़ करने हेतु तंत्रों का समर्थन करना।
- (घ) दिल्ली सरकार को निगरानी एवं मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता करना।
- (ङ) राज्य के विकास एजेंडा के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए यथावश्यक अन्य गतिविधियों को करना।

3. बैठक शुल्क और संबंधित मामले

- (क) विषय विशेषज्ञों (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) को प्रति बैठक 10,000/- रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (ख) इसके अतिरिक्त, दिल्ली के बाहर से आने वाले विषय विशेषज्ञों को भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टीए/डीए) का भुगतान किया जाएगा।
- (ग) डीआईटीआई को योजना विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- (घ) शासी बोर्ड के उपाध्यक्ष के सहायक स्टाफ में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
- 01 निजी सहायक
 - 01 अनुभाग अधिकारी
 - 01 कनिष्ठ सहायक
 - 02 मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संतोष द0 वैद्य, प्रधान सचिव (योजना)

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2026

F. No. PLG-D011/1/2026-Coordination Unit-PLANNING DEPARTMENT-Part(4)/19383-19390.—The Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to set up the Delhi Institute for Transformation and Innovation (DITI) vide Cabinet Decision No 3355 dated 28.07.2026, with a vision to transform Delhi into an inclusive, innovative, sustainable and globally competitive city through evidence-based policymaking, collaborative governance and citizen-centric innovation. The Institute shall strive to:

- a. Promote a culture of continuous improvement in governance by leveraging data, technology, partnerships and policy research to improve outcomes for the people of Delhi.
- b. Function as the premier advisory body of the Government of NCT of Delhi in matters relating to public policy, development strategy and institutional reforms.
- c. It shall provide strategic inputs on emerging challenges and opportunities and assist the Government in preparing medium and long-term development frameworks, including a comprehensive “Vision Delhi 2047” document aligned with the aspirations of the citizens and national priorities.
- d. Undertake policy research and analytical studies across sectors and provide departments with evidence-based recommendations for improving programme design and implementation.
- e. Commission research studies, prepare policy papers, conduct impact assessments and facilitate consultations with various stakeholders.
- f. Regularly review and evaluate, and shall support departments in improving efficiency, accountability and service delivery.
- g. Provide the flexibility required for engaging experts from diverse fields, commissioning specialised studies,

entering into collaborations and partnerships.

- h. Function as the Government's in-house knowledge and strategy institution. The establishment of DITI is expected to strengthen evidence-based policymaking, improve coordination across departments, enhance monitoring of key programmes, and accelerate transformational governance.

2. The governing structure of DITI shall consist of Governing Board & Executive Committee as detailed below:

Composition of Governing Board of DITI

S.No.	Role	Designation
1.	Chairperson	Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi
2.	Vice Chairperson	Nominated by Hon'ble Chief Minister, GNCT of Delhi
3.	Members	All Hon'ble Ministers of GNCT of Delhi
		Chief Secretary, GNCT of Delhi
		Vice Chairman, DDA
		Commissioner, MCD
		Chairperson, NDMC
4.	Member Secretary	Administrative Secretary (Planning Deptt.), GNCTD
5.	Special Invitees as decided by Chairperson	- Officials - Administrative Secretary of concerned/ relevant department. - Subject Experts (National / International) from the relevant fields.

Term of reference for the Governing Board

The Term of reference for the Governing Board shall be as under:

- To evolve a shared vision of development priorities, sectors and strategies in the light of national objectives.
- To develop mechanism to formulate credible plans at the State level and aggregate these progressively at higher levels of government.
- To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefitting adequately from economic progress.
- To design strategic and long-term policy and programme frameworks and initiatives and monitor their progress and their efficacy. The lessons learnt through monitoring and feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course corrections.
- To provide advice and encourage partnerships between key stakeholders and national and international like-minded Think Tanks, as well as educational and policy research institutions.
- To actively monitor and evaluate the implementation of programmes and initiatives, including the identification of the needed resources so as to strengthen the probability of success and scope of delivery.
- To focus on technology upgradation and capacity building for implementation of programmes and initiatives.
- To undertake other activities as may be necessary to further the execution of the State's development agenda.

Composition of Executive Committee of DITI

S.No.	Role	Designation
1.	Chairperson	Chief Secretary, GNCT of Delhi
2.	Members	Administrative Secretary (Planning Deptt.), GNCTD
		Administrative Secretary (UD), GNCTD
		Administrative Secretary, PWD, GNCTD
		Administrative Secretary, I&FC, GNCTD
		Representative from Lead Knowledge institution (GGSIPU)

3.	Member Secretary	Director (Planning), GNCTD
----	------------------	----------------------------

* If required, Concerned Administrative Secretary / HOD may be invited as Special Invitee.

Term of reference for the Executive Committee

The Term of reference for the Executive Committee shall be as under:

- a. To assist the Governing Board for DITI in performing its terms of reference in collaboration with NITI Aayog and the Lead Knowledge Institute.
- b. To prepare development strategies, sectoral targets, socio economic goals and State Vision 2047 as per the State's requirements and roadmap to achieve the same.
- c. To support mechanisms for strengthening horizontal and vertical coordination within the Government.
- d. To assist the Delhi Govt. in strengthening the monitoring & evaluation ecosystem and innovation ecosystem.
- e. To undertake other activities as may be necessary to further the execution of the State's development agenda.

3. Sitting Fees and Related Matters

- a. Subject Experts (National / International) shall be paid a sitting fee @ Rs. 10,000/- per sitting.
- b. Further, the subject experts coming from outside Delhi will also be paid TA/DA in accordance with the guidelines issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI.
- c. The DITI shall be supported by Planning Department, GNCTD.
- d. The supporting staff of the Vice Chairperson of the Governing Board shall comprise:
 - 01 P. A.
 - 01 Section Officer
 - 01 Junior Assistant
 - 02 Multi-Tasking Staff (MTS)

By Order and in the Name of Lt. Governor of
The National Capital Territory of Delhi

SANTOSH D. VAIDYA, Pr. Secy. (Planning)